

:- आदेश :-

उपरोक्त-प्राथीयों-ने-मेरे-समक्ष-उपस्थित-होकर-उपरोक्त-प्रकार-अभिलेख-दुरस्ती-हेतु-निवेदन-किया-है-एवं-इस-दुरस्ती-को-करने-हेतु-सहमति-लिखित-में-दी-गयी-है।-उप-तहसीलदार-द्वारा-भी-सहमति-व्यक्त-की-गई-है।-उक्त-दुरस्ती-वस्तुतः-लिपिकीय-त्रुटि-सुधार-की-संज्ञा-में-आती-है।-अंकित-इन्द्राज-दुरस्ती-परस्पर-सहमति-से-किये-जाने-हेतु-प्राथीगण-ने-प्रार्थना-की-है-तथा-अभिलेख-के-आधार-पर-भी-उक्त-इन्द्राज-दुरस्ती-राजस्व-अभिलेख-में-होने-योग्य-है।-अतः-निम्नलिखित-इन्द्राज-दुरस्ती-किये-जाने-के-आदेश-दिये-जाते-है-:-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खसरा संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (ह)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
रखीपुरा	164	राजेन्द्र सिंह & बालू सिंह	574	2-23	राजेन्द्र सिंह & मोहन सिंह	574	2-23 ह

क्रमांक :- PGKSA/21/27

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ब्लॉक)
दिनांक :- 06.10.21

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का..... को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ब्लॉक)
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर